CANCELLED

न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल ग्वालियर ... क्रमांक 170

R 454 - 2017

अशोक कुमार पिता दरबारी लाल ...
निवासी- ग्राम उजनेट तहसील ... जिला सागर (म०प्र०)

-- पुनरीक्षणकर्ता

25 JAN 2017

|| बनाम ||

(1) डालचंद पिता दीपचंद जैन
निवासी- बीना तहसील बीना जिला सागर (म०प्र०)

(2) दीपचंद पिता गोरेलाल जैन
निवासी- ग्राम उजनेट तहसील ... जिला सागर (म०प्र०)

-- रेस्पाडेन्ट

श्री ... द्वारा प्रस्तुत
कार्यालय कमिश्नर, सागर संभाग, सागर (म. प्र.)

122
30-01-17

पुनरीक्षण अंतर्गत धारा 50 म०प्र० भू- राजस्व संहिता 1959

पुनरीक्षण कर्ता उक्त पुनरीक्षण नायब तहसीलदार, बांदरी के राजस्व प्रकरण क्रमांक 42-अ/70 वर्ष 2015-016 में पारित आदेश दिनांक 21-11-2016 से परिवेदित होकर अन्य आधारों के अलावा निम्न आधारों पर पुनरीक्षण प्रस्तुत कर रहा है।

प्रकरण के तथ्य

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि पुनरीक्षणकर्ता एवं रेस्पाडेन्ट की पैतृक कृषि भूमि ग्राम उजनेट पटवारी हल्का नंबर-41 में रेस्पाडेन्ट के नाम से खसरा नम्बर 483 रकबा 0-27 हेक्टेयर एवं रेस्पाडेन्ट के पुनरीक्षणकर्ता क्रमांक 1 के नाम से खसरा नम्बर - 482 रकबा 0-33 हेक्टेयर भूमि स्थित है उक्त भूमि का पुराना नंबर-273 था जिसके नये नम्बर 273/1 वा 273/2 थे एवं बन्दोबस्त बाद उनके खसरा नम्बर 273/1 का 482, खसरा नंबर 273/2 का 483 बना। उक्त पैतृक भूमि का बन्दोबस्त पूर्व ही आपसी बंटवारा हो गया था। रेस्पाडेन्ट का बंटवारा में मुख्य मार्ग उजनेट से विनायका

## न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 454–एक/2017 जिला सागर

अशोक कुमार विरूद्ध डालचंद आदि

| स्थान तथा दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| 07–3–2019 | प्रकरण प्रस्तुत। आवेदक की ओर से यह निगरानी नायब तहसीलदार बांदरी तहसील मालथौन जिला सागर के प्रकरण कमांक 42/अ–70/2015–16 में पारित आदेश दिनांक 21–11–2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25–9–2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर सागर के न्यायालय को अंतरित किया जाता है।<br>2/ पक्षकार दिनांक 6–5–2019 को कलेक्टर सागर के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों।<br>सदस्य<br>07/3/19 | |